N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0146 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 19/07/2024 17:31 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 18/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 19:30 बजे **Time To (समय तक):** 14:58 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/07/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 19/07/2024 17:31:42 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 90 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** NAGAR PALIKA AJITGADH, NEEMKATHANA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MOHANLAL JAT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAGHUNATH PRASAD

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1984 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MURLIPURA DHANOTA, AMARSAR, JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MURLIPURA DHANOTA, AMARSAR, JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PARMVEER DULAR		पिता:RAMKUMAR SINGH	1. HANUMANPURA,MANDAWA,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी सीकर विषय- रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मै मोहनलाल जाट पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद, जाति जाट, उम्र-40 वर्ष, निवासी गांव मूरलीपुरा धानोता, पुलिस थाना अमरसर जिला जयपुर का निवासी हॅु। मैने व मेरे साथी श्री गोपाल, श्री कानाराम, श्री बंशीधर, श्रीमती सूरजी देवी ने मिलकर कुशमपुरा मौहल्ला, कस्बा अजीतगढ जिला नीमकाथाना में करीब 7 बीघा जमीन कोलोनी काटने के लिये खरीदी थी। हमारी उक्त जमीन के संबंध में सरकारी विभागों से नियमानुसार कानूनी कार्यवाही हेतु मैं पैरवी कर रहा हॅु। उक्त जमीन में मेरे नाम जमीन के खसरा नम्बर 2855/2814 है। उक्त सम्पूर्ण जमीन का हमने तहसील कार्यालय श्रीमाधोपुर से नियमानुसार आवासीय भू-रूपान्तरण करवा लिया था। उस वक्त अजीतगढ कस्बें में ग्राम पंचायत थी, जो बाद में नगरपालिका बन गई थी। उक्त भूमि में कॅालोनी काटने के लिये एनओसी प्राप्त करने के लिये नगरपालिका अजीतगढ में दिनांक 14.03.2024 को 1,71,000 रूपये जमा करवा दिये थे, जिस पर नगरपालिका अजीतगढ ने अपने कार्यालय के पत्रांक 217 दिनांक 17.05.2024 से हमें उक्त भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इसके बाद हम जब उक्त भूमि पर रोड़ आदि बनाने लगे तो नगरपालिका अजीतगढ द्वारा हमें रोक दिया गया और कहा कि जब तक हम उक्त भूमि का ले-आउट प्लान अनुमोदित नहीं करवायेगे तब तक यहाँ पर कॉलोनी नहीं काट सकते। इस पर मै नगरपालिका अजीतगढ में जाकर वहाँ के अधिशाषी अधिकारी श्री परमवीर से मिला तो उन्होने मुझसे हमारी भूमि के बारें में व हम पार्टनर के बारें में पूछताछ कर मुझे कहा कि इस भूमि का ले-आउट प्लान की फाईल श्री मनोज कुमार चौधरी, सामोद रोड, चौमू से तैयार करवालो जिसके फोन नम्बर बताये। और कहा कि ले-आउट की फाईल अनुमोदित करने के लिये आपको मुझे 2,00,000 रूपये मेरे स्वयं के तथा नगरपालिका अजीतगढ की चैयरमैन श्रीमती सन्तोष के लिये देने पडेगैं, तब तुम्हारा ले-आउट प्लान पास होगा। इस पर मैने उनसे रूपये कम करने की प्रार्थना की तो उन्होने कहा कि इतने रूपये तो देने ही होगें। मैं मेरे जायज कार्य के लिये ईओ श्री परमवीर एवं चैयरमैन श्रीमती सन्तोष के लिये कोई रिश्वत नहीं देना चाहता हॅु, बल्कि उनके खिलाफ एसीबी से कार्यवाही करवाना चाहता हॅु । मेरा ईओ श्री परमवीर, चैयरमैन सन्तोष से कोई रंजीश नहीं है ना ही इन लोगों से मेरा कोई लेनदेन है। दिनांक- 26.06.2024 प्रार्थी मोहनलाल जाट पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद, जाति जाट, उम्र-40 वर्ष, निवासी गांव मुरलीपुरा धानोता, पुलिस थाना अमरसर जिला जयपुर, मोबाईल नम्बर ., एसडी-रवीन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस, कार्यवाही आरम्भ की जाती है, 26.06.2024, एसडी-मनेश कुमार, दिनांक 18.07.24, एसडी-कुलदीप यादव, 18.07.24 कार्यवाही पुलिस 26.06.2024 07.30 पीएम दर्ज रहे कि परिवादी श्री मोहनलाल जाट ने जरिये दूरभाष मन् रवीन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस को नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना के ईओ एवं चैयरमैन द्वारा ले-आउट प्लान पास करवाने की एवज में रिश्वत की मांग करना बताते हुये उनको रंगे हाथों पकडवाने की कही। परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को कस्बा हाडोता चौमू उपस्थित होकर अग्रिम कार्यवाही करवाने की कही। जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस रवीन्द्र सिंह मय श्री राजेन्द्र प्रसाद एचसी नं. 87, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री सुरेशचन्द कानि. चालक मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के, लैपटॉप, प्रिन्टर आदि के जरिये सरकारी वाहन के कार्यालय से समय 6.00 पीएम पर रवाना होकर परिवादी के बतायेनुसार इस समय कस्बा चैमू में हाडोता मोड स्थित श्याम होटल के पास पहॅुचा, जहाँ पर परिवादी मोहनलाल जाट पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद, जाति जाट, उम्र-40 वर्ष, निवासी गांव मूरलीपुरा धानोता, पुलिस थाना अमरसर जिला जयपुर उपस्थित मिला। परिवादी श्री मोहनलाल जाट ने मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उक्त टाईप शुदा प्रार्थना पत्र मय स्वय के नाम की एक जमाबंदी की फोटो प्रति, नगरपालिका अजीतगढ की एनओसी की फोटो प्रति व नगरपालिका अजीतगढ की एक रसीद की फोटो प्रति प्रस्तुत की, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान व परिवादी को लेकर परिवादी के परिचित श्याम होटल के अन्दर पहॅुचा। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री मोहनलाल जाट ने प्रार्थना पत्र अपने परिचित से टाईप करवाना बताया और प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्री परमवीर ईओ, चैयरमैन श्रीमती सन्तोष से पहले की कोई रंजिश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से प्रथम दृष्टया मामला रिश्वत लेन-देन का पाया जाने पर कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू व बन्द करने की विधि परिवादी श्री मोहनलाल जाट को समझाई गई। रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही में

परिवादी के साथ जाने वाले श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10 से परिवादी श्री मोहनलाल जाट का आपस में परिचय करवाकर हर दोनों को समझाईस की गई। परिवादी श्री मोहनलाल जाट ने कल दिनांक 27.06.2024 को ईओ परमवीर से रिश्वत के संबंध में बातचीत करने की कही। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कल दिनांक 27.06.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के श्री दलीप कुमार कानि. के साथ कस्बा अजीतगढ भिजवाने की कही। आईन्दा रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। परिवादी श्री मोहनलाल जाट को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के रवाना होकर एसीबी कार्यालय सीकर पहॅुचा। मन् उप अधीक्षक पुलिस को दिनांक 27.06.2024 को शहादत हेतु दौसा जाने के मध्यनजर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय की डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के श्री दलीप कुमार कानि. को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई थी। तत्पश्चात दिनांक 29.06.2024 को समय 10.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के बाद शहादत उपस्थित कार्यालय आने पर श्री दलीप कुमार कानि. ने मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष डीवीआर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर बताया कि " दिनांक 27.06.2024 को समय 10.00 एएम पर कार्यालय से डीवीआर मय मेमोरी कार्ड लेकर कस्बा अजीतगढ के लिये रवाना हुआ था। समय करीब 12.30 पीएम पर कस्बा अजीतगढ में बस स्टेण्ड पर पहॅुचा, जहॉ पर परिवादी मोहनलाल जाट उपस्थित मिला, परिवादी के चाहेनुसार हम दोनों कस्बा अजीतगढ बस स्टेण्ड से रवाना होकर नगरपालिका अजीतगढ के पास पहॅुचे जहॅा परिवादी ने अपने स्तर पर मालूमात किया तो श्री परमवीर ईओ का कार्यालय में नहीं होना ज्ञात हुआ, जिस पर हम दोनों नगरपालिका के पास इन्तजार में मुकिम हुये। समय करीब 4.00 पीएम तक श्री परमवीर ईओ के कार्यालय में आने का इन्तजार किया गया उसके बाद परिवादी ने बताया कि मैने अपने सूत्रों से मालूमात किया है कि अब श्री परमवीर ईओ नगरपालिका में नहीं आयेगा। परिवादी ने आईन्दा सत्यापन करवाने की कही, जिस पर परिवादी को कस्बा अजीतगढ में ही छोडा जाकर मैं कस्बा अजीतगढ से रवाना होकर समय 6.00 पीएम पर उपस्थित कार्यालय आया था। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को अपनी आलमारी में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात दिनांक 01.07.2024 को परिवादी श्री मोहनलाल जाट ने जरिये दूरभाष मन् उप अधीक्षक से सम्पर्क कर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय की डीवीआर कस्बा अजीतगढ में भिजवाने तथा श्री परमवीर ईओ से वार्तालाप करने की कही, जिस पर कार्यालय की डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के श्री दलीप कुमार कानि. को सुपुर्द कर परिवादी के चाहेनुसार रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी के पास अजीतगढ रवाना किया जाकर मुनासिब हिदायत दी गई। उसी दिन श्री दलीप कुमार कानि. एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालय का डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि " कार्यालय से रवाना होकर मै कस्बा अजीतगढ बस स्टेण्ड पहॅुचे जहॅा परिवादी श्री मोहनलाल जाट उपस्थित मिला, जहॅा हम दोनों बस स्टेण्ड से रवाना होकर अजीतगढ नगरपालिका के पास पहॅुचे जहॅा परिवादी ने अपने स्तर पर श्री परमवीर ईओ के बारे में मालूमात किया तो उसका नगरपालिका में नहीं होना पता चला। उसके बाद हम दोनों नगरपालिका के पास ही ईओ के इन्तजार में मुकिम हुये। समय करीब 6.00 पीएम तक ईओ का इन्तजार करने के बाद भी ईओ के नगरपालिका नहीं आने पर परिवादी मोहनलाल ने आईन्दा रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने की कही, जिस पर परिवादी को कस्बा अजीतगढ में ही छोडा जाकर मैं कस्बा अजीतगढ से रवाना होकर उपस्थित कार्यालय आया हॅु।" मन् उप अधीक्षक पुलिस ने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को अपनी आलमारी में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात दिनांक 08.07.2024 को परिवादी श्री मोहनलाल जाट ने जरिये दूरभाष मन् उप अधीक्षक से सम्पर्क कर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय की डीवीआर कस्बा अजीतगढ में भिजवाने तथा श्री परमवीर ईओ से वार्तालाप करने की कही, जिस पर कार्यालय का डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपनी आलमारी से निकालकर श्री दलीप कुमार कानि. को सुपुर्द कर परिवादी श्री मोहनलाल जाट के चाहेनुसार रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी के पास अजीतगढ रवाना किया गया। उसी दिन श्री दलीप कुमार कानि. ने कार्यालय में उपस्थित होकर डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि "कार्यालय से रवाना होकर कस्बा अजीतगढ पहॅुचा जहॅा बस स्टेण्ड अजीतगढ पर परिवादी श्री मोहनलाल जाट उपस्थित मिला, जहॅा परिवादी के नगरपालिका चलने की कहने पर हम दोनों नगरपालिका अजीतगढ की तरफ पैदल-पैदल रवाना हुये तब समय करीब 5.00 पीएम पर बस स्टेण्ड अजीतगढ के पास मुख्य सड़क पर जोशी ऑयल मील के पास एक सफेद मारूती डिजायर गाडी नम्बर आरजे-18 सीसी 6992 खडी दिखाई दी, तब परिवादी मोहनलाल जाट ने उस गाडी में चालक सीट पर ईओ परमवीर के बैठे होने की कही, जिस पर परिवादी के चाहेनुसार मैने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया, परिवादी उस डिजायर गाडी की तरफ रवाना होकर गाडी के चालक सीट की तरफ जाकर खडा़ हो गया और चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से बाते करने लग गया। परिवादी श्री मोहनलाल जाट व कार में चालक सीट पर बैठे व्यक्ति को आपस में वार्ता करते हुये मैं कुछ दूरी पर खडा़ होकर देख रहा था। कुछ देर पश्चात डिजायर गाडी के रवाना होने पर परिवादी श्री मोहनलाल जाट मेरे पास आया और मुझे डीवीआर सुपुर्द किया, जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि ईओ श्री परमवीर मुझसे दो लाख रूपयों की मांग कर डेढ लाख रूपये लेने पर सहमत हुआ है। मैने ईओ श्री परमवीर द्वारा मेरे से रिश्वत मांगने की वार्ता डीवीआर में रिकार्ड कर ली है, अब मैं रिश्वत में दिये जाने वाले डेढ लाख रूपयों की व्यवस्था कर आपके कार्यालय में उपस्थित होने की कही। डीवीआर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने

सरसरी तौर पर सुना गया तो आरोपी ईओ द्वारा परिवादी श्री मोहनलाल जाट से डेढ लाख रूपये बतौर रिश्वत लेने पर सहमत होने की पुष्टि हुई। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपनी आलमारी में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात दिनांक 16.07.2024 को परिवादी श्री मोहनलाल जाट ने जरिये दूरभाष मन् उप अधीक्षक पुलिस को रूपयों की व्यवस्था कर दिनांक 18.07.2024 को श्री परमवीर ईओ के विरूद् अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करवाने की कही। दिनांक 18.07.2024 को कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, श्रम विभाग सीकर से स्वतंत्र गवाहान श्री मनेश कुमार सहायक प्रोग्रामर एवं श्री कुलदीप यादव श्रम निरीक्षक को तलब किया गया। परिवादी श्री मोहनलाल जाट के उपस्थित कार्यालय आने पर परिवादी श्री मोहनलाल जाट ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि "मेरे पास 1,50,000 रूपयों की व्यवस्था नहीं हुई है, परिवादी श्री मोहनलाल जाट ने आरोपी ईओ को रिश्वत के रूप में 1,25,000 रूपये ही देने की कही। कार्यालय में मौजूद स्वतंत्र गवाहान श्री मनेश कुमार सहायक प्रोग्रामर एवं श्री कुलदीप यादव का परिवादी श्री मोहनलाल जाट व ब्यूरो स्टाफ का आपस में परिचय करवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। परिवादी श्री मोहनलाल जाट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री मोहनलाल जाट ने हिदायत देने पर संदिग्ध आरोपी श्री परमवीर ईओ नगरपालिका अजीतगढ जिला सीकर को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच-पांच सौ रूपये के 250 नोट कुल 1,25,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है- 1. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 LQ784565 2. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 EC 206897 3. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 MS 226436 4. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 NM 514815 5. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 KD 277074 6. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 WA700306 7. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 QM 418020 8. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 AM 199541 9. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 DD 843171 10. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 CP 999660 11. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 CM 880737 12. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 KG 399691 13. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 HF 497842 14. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 HP 382492 15. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 EF 744869 16. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 PD 544253 17. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 RS 052311 18. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 VW 723595 19. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 VW 723899 20. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 VW 723903 21. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 AW 760104 22. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 KK 599346 23. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 BL 318387 24. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 KL 934543 25. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 NK 998687 26. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 GK 945925 27. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 AG 518070 28. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 VW 723666 29. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 PM 298187 30. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 VW 723603 31. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 VW 723604 32. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 RS 644197 33. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 VW 723918 34. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 VW 723919 35. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 VW 723921 36. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 KA 116235 37. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 KM 297322 38. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 KS 033467 39. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 KC 083577 40. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 MA 360507 41. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 QB 556965 42. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 PE 712665 43. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 FE 391436 44. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 MR 194277 45. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 QW 268213 46. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 AN 525462 47. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 GT 896146 48. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 LA 404799 49. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 QC 504307 50. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 AR 381475 51. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 RP 184025 52. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 NF 852127 53. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 PC 502887 54. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 FQ 049636 55. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 EE 957702 56. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 GW 537915 57. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 CK 507815 58. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 QT 405077 59. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 BP 126913 60. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 TB 969566 61. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 UL 887086 62. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 HQ 799052 63. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 WG 523459 64. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 QE 198433 65. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 PL 050785 66. एक नोट पॉच सौ रूपये

का नम्बरी नम्बर 5 MK 246488 67. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 FB 685956 68. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 CM 277756 69. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 BW 921236 70. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 KW 371402 71. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 QP 291372 72. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 UQ 731184 73. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 GM 716294 74. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 HV 176646 75. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 TL 733414 76. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 AD 374671 77. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 PV 53290 78. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 BH 824321 79. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 WB 474469 80. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 HL 226473 81. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 FC 326042 82. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 GA 958484 83. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 FG 723657 84. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 LU 615056 85. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 PA 720432 86. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 VH 487059 87. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 DB 340122 88. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 NB 697136 89. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 QG 377142 90. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 RD 579020 91. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 HT 385948 92. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 QD 032972 93. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 KH 143064 94. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 FD 224914 95. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 NT 106960 96. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 RE 302736 97. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 GF 077634 98. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 BF 878893 99. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 DP 775231 100. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 SS 250872 101. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 QM 512537 102. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 UM 906784 103. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 BK 125014 104. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 HB 956278 105. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 EC 579554 106. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 FP 486927 107. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 UU 463555 108. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 UU 365945 109. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 AL 437684 110. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 KQ 012305 111. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 AP 249950 112. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1WG 409554 113. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 KM 342335 114. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 GD 550091 115. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 EM 406762 116. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 CK 694830 117. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 RC 483900 118. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 PU 328024 119. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 DK 993373 120. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 AW 969048 121. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 AC 829971 122. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 RQ 424532 123. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 AH 231205 124. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 LN 135911 125. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 AA 506156 126. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 VT 801128 127. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 KN 549026 128. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 MM 904913 129. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 HB 413493 130. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 HB 413491 131. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 HU 823320 132. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 EF 215502 133. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 SA 995258 134. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 MD 956456 135. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 DE 278699 136. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 BL 021026 137. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 NE 698721 138. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 MA 064803 139. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 EE 305248 140. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 TR 263436 141. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 QA 863680 142. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 AV 530162 143. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 BF 838735 144. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 BR 531117 145. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 BD 445423 146. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 TK 478874 147. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 LD 634443 148. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 PE 398082 149. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 GM 282412 150. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 QF 600749 151. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 RL 220076 152. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 VK 997968 153. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 BL 998077 154. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 KR 686394 155. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 UE 598726 156. एक नोट

पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 DT 125975 157. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 HC 599788 158. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 SP 905506 159. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 GH 787744 160. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 DH 856624 161. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 HU 970781 162. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 EA 747874 163. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 BT 091891 164. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 PA 160552 165. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 FK 800220 166. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 NC 407986 167. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 BD 356975 168. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 SV 942596 169. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 AP 538724 170. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 HA 838647 171. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 AW 370604 172. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 AC 468262 173. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 TQ 012113 174. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 TG 964196 175. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 FS 501386 176. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 KW 865687 177. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 BK 742185 178. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 NW 494213 179. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 DP 531448 180. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 FN 504437 181. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 PS 756326 182. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 BC 740440 183. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 BW 189895 184. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 KR 658627 185. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 KV 509406 186. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 BD 145645 187. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 TG 956458 188. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 AR 413701 189. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 AF 887202 190. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 GS 388881 191. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 QN 377223 192. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 SS 598568 193. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 BB 092499 194. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 FU 663092 195. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 AP 250011 196. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 DP 792738 197. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 EG 452115 198. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 NE 199599 199. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 KE 529798 200. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 ER 175929 201. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 HT 313247 202. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 EQ 234695 203. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 UD 379206 204. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 NF 104511 205. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 BA 137795 206. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 VP 660602 207. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 AA 881917 208. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 HG 196470 209. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 SU 688163 210. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 WA 416686 211. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 WG 128909 212. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 BM 364908 213. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 TL 715745 214. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 ER 167348 215. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 QR 754081 216. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 PQ 554151 217. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 RV 420808 218. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 BL 289978 219. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 PV 678986 220. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 DA 280608 221. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 UF 944861 222. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 KD 888938 223. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 MT 796210 224. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 HF 515705 225. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 QH 506564 226. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 NR 556890 227. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9 TQ 910831 228. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 QQ 008128 229. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 CS 945018 230. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 UT 160308 231. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 KR 218180 232. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 GQ 420712 233. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8 AQ 593491 234. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 VA 661128 235. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 TR 882110 236. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 SC 217780 237. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5 VP 457205 238. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3 FT 607527 239. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4 SN 605612 240. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 BW 594090 241. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 FF 560220 242. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 FN 114837 243. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 EV 864543 244. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 LS 121427 245. एक नोट

पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0 WC 819959 246. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7 VA 162343 247. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 DT 019532 248. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1 PW 058145 249. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6 CD 357409 250. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2 VW 900641 फिनाफ्थलीन पाउडर की शीशी कार्यालय की आलमारी से श्रीमती सुशीला महिला कानि. नं. 107 से निकलवाकर उपरोक्त समस्त नोटों को कार्यालय में टेबल पर अखबार बिछाकर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नं. 107 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री मनेश कुमार से परिवादी श्री मोहनलाल जाट की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 1,25,000 रूपयों के नोटों को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नं. 107 से परिवादी श्री मोहनलाल जाट की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखवाकर परिवादी श्री मोहनलाल जाट को रास्ते में इन रूपयों को नही छुने व मिलने पर आरोपी से हाथ नही मिलाने एवं आरोपी से अपने काम के संबध में बात करने तथा आरोपी द्वारा मांग किये जाने पर स्वंय की जेबों में रखे पाऊडर लगे उक्त रूपये निकालकर उसे देने तथा आरोपी द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन नम्बर . से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर . पर मिस कॅ०ाल देकर ईशारा करने की हिदायत दी गई। इसके बाद श्री अशोक कुमार एचसी नं. 76 से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमे थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी का रंग नही बदला इस घोल में श्रीमती सुशीला महिला कानि. नं. 107, जिसने नोटो पर फिनोपथलीन पाऊडर लगाया, के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार प्रदर्षन करवाकर दोनो पाऊडरों फिनोपथलीन एंव सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी श्री मोहनलाल जाट व दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीषी गवाहान की मौजूदगी में श्रीमती सुशीला महिला कानि. नं. 107 से कार्यालय की आमलारी में रखवाई गई। श्री अशोक कुमार एचसी से प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल को फिंकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास एंव अखबार जिस पर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाकर नष्ट कराया गया। परिवादी श्री मोहनलाल जाट, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने हेतु प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास कुल नग 10 व कांच की शीषीयों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुयें ट्रेप बोक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। कार्यालय की डीवीआर मय दूसरा मेमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डीवीआर मय मेमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु परिवादी श्री मोहनलाल जाट को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई। कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर 12.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस रवीन्द्र सिंह मय परिवादी श्री मोहनलाल जाट, स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप यादव, श्री मनेश कुमार, स्टाफ के श्री दलीप कुमार कानि नं. 10 जरिये परिवादी के वाहन से तथा स्टाफ के श्रीमती सुनिता एचसी नं. 43, श्रीमती मंजू महिला कानि. नं. 483, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्री राजेन्द्र प्रसाद एचसी नं. 87, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 जरिये प्राईवेट वाहन से तथा श्री सुभाषचन्द एएसआई, श्री मूलचन्द हैड कानि. 123, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री अमित कुमार, कनिष्ठ सहायक, श्री सुरेशचन्द कानि. चालक नं. 60 जरिये सरकारी वाहन बोलेरो के मय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.07.2024 का मेमोरी कार्ड, ट्रेप बाक्स एंव लैपटॅ०ाप मय प्रिन्टर साथ लेकर एसीबी कार्यालय से रवाना होकर समय 2.10 पीएम पर नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना के पास पहॅूचा जहां परिवादी श्री मोहनलाल जाट को नगरपालिका अजीतगढ के लिये पैदल-पैदल रवाना किया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के नगरपालिका के सामने मुख्य सड़क पर ही वाहनों में मुकिम हुआ। समय 2.58 पीएम पर जरिये मोबाईल फोन कॅ०ाल आने का तय ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतत्र गवाहान मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी को ईशारे से साथ लेते हुये परिवादी के बतायेनुसार नगरपालिका अजीतगढ में कॅ०ार्नर पर बने स्टोर/भूमि शाखा के मुख्य दरवाजे पर पहॅूचा, जहां उक्त रूम के गेट पर परिवादी श्री मोहनलाल जाट खडा़ मिला, जिसने डीवीआर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। डीवीआर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी श्री मोहनलाल जाट ने स्टोर/भूमि शाखा में सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि "यही परमवीर जी ईओ है, जिन्होने अभी-अभी मेरे से रिश्वती राशि के 1,25,000 रूपये लेकर अपने हाथों से सरसरी तौर पर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे है" जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो उसने अपना नाम श्री परमवीर दुलार पुत्र श्री रामकुमार सिंह, जाति जाट, उम्र-56 वर्ष, निवासी हनुमानपुरा, पुलिस थाना मण्डावा जिला झुंझुनूं हाल ईओ, नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना होना बताते हुये कहा कि "इन्होने कहा कि मैं कहीं जाकर आ रहा हूं, आप एक बार रखलो" मौके पर मौजूद परिवादी श्री मोहनलाल जाट ने आरोपी श्री

परमवीर दुलार ईओ के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि "ये झॅूठ बोल रहे है, रिश्वत मांग सत्यापन के समय दिनांक 08.07.2024 को मैने बस स्टेण्ड अजीतगढ के पास इनसे बात की तो इन्होने मेरे ले-आउट प्लान को अनुमोदन करने के लिये दो लाख रूपये देने की कही, तब मैने इनको डेढ लाख रूपये देने की कही थी, आज इनके चेम्बर में आया तो इनके चेम्बर में श्रीमती सन्तोष देवी चैयरमैन के पुत्र श्री सुनिल भी बैठे थे, तब ईओ साहब ने कहा कि चैयरमैन जी का क्या लफडा़ है, इसको सलटाओ, तब श्री सुनिल जी ने गोपाल व हेमराज टाटला से बात करने की कही, श्री गोपाल जी दूषाद एवं श्री हेमराज टाटला ने पहले कस्बा अजीतगढ में कॅाम्पलेक्श का निर्माण करवाया था, तब उन्होने चैयरमैन को रिश्वत के रूपये नहीं दिये थे, अब उक्त श्री गोपाल दूषाद मेरी कॅालोनी में पार्टनर है, मैने सुनिल जी के कहने पर श्री हेमराज टाटला के मोबाईल नम्बर पर मेरे मोबाईल नम्बर से कॅाल लगाकर श्री हेमराज टाटला से श्री सुनिल जी की बात कराई तो सुनिल जी ने उनको कहा कि अपनी कितनी में बात हुई थी, तब श्री हेमराज ने कहा कि आपको 5 देने के लिये बोला था, तब सुनिल जी ने पहले कॅाम्पलेक्श के पैसे देने की कहते हुये कॅालोनी के पैसे बाद में देने की कही, तब मैने ईओ साहब को कॅालोनी एवं कॅाम्पलेक्श के लिये पैसे एक जगह ही करने की कही, तो श्री सुनिल जी ने कहा कि कॅालोनी के पैसे आपको ईओ साहब बता देगें, फिर मैने ईओ साहब को 1,25,000 रूपये रिश्वती राशि के देना चाहा तो ईओ साहब मुझे स्टोर/भूमि शाखा में ले गये, पीछे-पीछे श्री सुनिल भी आ गये, फिर मैने श्री परमवीर जी ईओ को रिश्वती राशि के 1,25,000 रूपये दे दिये तब इन्होने कहा कि दो लाख रूपयों की बात हुई थी, तब मैने इनको 75,000 रूपये बाद में देने की कही।" रिश्वत लेनदेन की पुष्टि होने पर आरोपी श्री परमवीर दुलार ईओ का दाहिना हाथ श्री रामनिवास कानि. 485 से एवं बांया हाथ श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10 से कलाईयो के उपर से पकड़वाये गये। स्टोर/भूमि शाखा में कुर्सी पर बैठे दूसरे व्यक्ति को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी श्री मोहनलाल जाट से श्री परमवीर दुलार ईओ के मार्फत रिश्वत लेने बाबत पूछा तो उसने अपना नाम सुनिल पुत्र श्री प्रहलाद अग्रवाल जाति महाजन, उम्र-36 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 16 अजीतगढ जिला नीमकाथाना होना बताते हुये कहा कि "इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मै मोहनलाल को नहीं जानता हूं ना ही यह आज से पहले मेरे से मिला है व ना ही इसका मेरे पास कोई फोन आया है" मौके पर परिवादी श्री मोहनलाल जाट ने श्री सुनिल के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि "मैने इनके कहने पर श्री हेमराज टाटला के मोबाईल नम्बर पर मेरे मोबाईल नम्बर से कॅाल लगाकर श्री हेमराज टाटला से श्री सुनिल जी की बात कराई तो सुनिल जी ने पहले कॅाम्पलेक्श के पैसे देने की कहते हुये कॅालोनी के पैसे बाद में देने की कही, तब मैने ईओ साहब को कॅालोनी एवं कॅाम्पलेक्श के लिये पैसे एक जगह ही करने की कही, तो श्री सुनिल जी ने कहा कि कॅालोनी के पैसे आपको ईओ साहब बता देगें" तत्पश्चात श्री मूलचन्द हैड कानि. नं. 123 के दोनो हाथो एवं दो प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलासो को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर गिलासो में साफ पानी भरवाकर थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री परमवीर दुलार ईओ के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री परमवीर दुलार ईओ के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर-1, आर-2 बायें हाथ के धोवन को मार्क एल-1, एल-2 से सील्ड किया गया। दोनों प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री परमवीर दुलार ईओ नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना को परिवादी श्री मोहनलाल जाट से प्राप्त रिश्वती राशि पेश करने की हिदायत देने पर आरोपी श्री परमवीर दुलार ईओ ने अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से पांच-पांच सौ रूपये के नोटो की थई निकालकर पेश की, जिनको गवाह श्री मनेश कुमार से गिनवाया गया तो कुल 1,25,000 रूपये के नोट पाये गये। उक्त नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द बरामदगी में अंकित करवाकर बरामद शुदा रिश्वती राशि के नोटों कुल 1,25,000 रूपयों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री परमवीर दुलार ईओ नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना को ससम्मान एक लोवर उपलब्ध करवाकर उसकी पहनी हुई पेन्ट उतारकर पेश करने की हिदायत देने पर उसने अपनी पहनी हुई पेन्ट निकालकर पेश की। तत्पश्चात श्री रामनिवास कानि. नं. 485 के दोनों हाथों एवं एक नये प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री परमवीर दुलार ईओ की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा-आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया गया। प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री परमवीर ईओ नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना की पेन्ट की जेबों की तलाशी लिवाई गई तो कुछ नहीं पाया गया। आरोपी श्री परमवीर ईओ

नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना की उक्त पेन्ट बरंग नीला की सामने की दाहिनी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे़ की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क "ए" अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री परमवीर दुलार ईओ नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना को परिवादी श्री मोहनलाल जाट के लक्ष्मीनगर के नाम से काटी गई कॅ०ालोनी के ले-आउट प्लान अनुमोदित करने के संबंध में पूछा तो आरोपी श्री परमवीर दुलार ईओ ने बताया कि " इनकी कॅ०ालोनी की 90-क की कार्यवाही की जा चुकी है, इन्होने ले-आउट प्लान अनुमोदन करने के लिये फाईल पेश नहीं की है, इस कारण इनकी कॅ०ालोनी का ले-आउट प्लान नहीं बनाया गया है। मौके पर परिवादी श्री मोहनलाल जाट ने आरोपी श्री परमवीर ईओ के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि "ये झॅ०ूठ बोल रहे है, मैने ले-आउट प्लान के लिये नक्शा आदि तैयार करवाकर इनको दे रखे है। तत्पश्चात परिवादी श्री मोहनलाल जाट के लक्ष्मीनगर के नाम से काटी गई कॅ०ालोनी के 90-क एवं ले-आउट प्लान से संबंधित पत्रावली श्री आनन्द कुमार फायरमैन के द्वारा प्राप्त कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली की फोटो प्रति करवाकर श्री आनन्द कुमार फायरमैन से प्रमाणित करवाकर प्रमाणित शुदा पत्रावली के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर प्रमाणित पत्रावली पृष्ठ संख्या 1 से 52 तक को जप्त किया गया। मूल पत्रावली श्री आनन्द कुमार फायरमैन नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना को सुपुर्द की गई। उक्त कार्यवाही फर्द धुलाई हाथ एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर घटना स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। आरोपी श्री परमवीर दुलार ईओ, नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना को अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जरिये फर्द हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात समय 6.00 पीएम पर परिवादी श्री मोहनलाल जाट द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.07.2024 को आरोपी श्री परमवीर दुलार ईओ, नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना से आमने सामने हुई बातचीत को डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रि०काई किया गया था। उक्त डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्रीमती सुनिता एचसी 43 से कार्यालय के लेपटॅ०ाप में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण एवं हिन्दी रूपान्तरण करवाया गया। डिजीटल वाईसरिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता में परिवादी श्री मोहनलाल जाट ने स्वंय की व आरोपी श्री परमवीर ईओ, नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना की आवाजों की पहचान की। चार खाली सीडी लेकर उक्त वार्ता को लेपटॅ०ाप की सहायता से सीडीयों में वार्ता की पृथक-पृथक कॅ०ापी/बर्न कर सीडी तैयार की गई। मांग सत्यापन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वाईसरिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड ZOMO 8 एवं दो सीडीयों की लेपटॅ०ाप की सहायता से श्रीमती सुनिता एचसी नं. 43 से FTK Imager सॅ०ाफटवेयर से अलग-अलग हैश वेल्यु निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। लेपटॅ०ाप से डिजीटल वाईसरिकार्डर हटाकर उसमें से मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड ZOMO 8 को निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "बी" अकिंत किया गया । तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वेल्यु निकाली गई एक सीडी पर मार्क "बी-1" एवं दूसरी सीडी पर मार्क "बी-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक-पृथक प्लास्टीक के कवर में डालकर पृथक- पृथक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपड़े की थैली पर मार्क "बी-1" एवं "बी-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। तत्पश्चात समय 6.30 पीएम पर परिवादी श्री मोहनलाल जाट द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 18.07.2024 को आरोपी श्री परमवीर दुलार ईओ, नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना से आमने सामने हुई बातचीत को डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रि०काई किया गया था। उक्त डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्रीमती सुनिता एचसी नं. 43 से कार्यालय के लेपटॅ०ाप में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण एवं हिन्दी रूपान्तरण करवाया गया। डिजीटल वाईसरिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता में परिवादी श्री मोहनलाल जाट ने स्वंय की व आरोपी श्री परमवीर ईओ, नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना एवं श्री सुनिल अग्रवाल (नगरपालिका अजीतगढ चैयरमैन के पुत्र) एवं श्री हेमराज टाटला की आवाजों की पहचान की। चार खाली सीडी लेकर उक्त वार्ता को लेपटॅ०ाप की सहायता से सीडीयों में वार्ता की पृथक-पृथक कॅ०ापी/बर्न कर सीडी तैयार की गई। रिश्वत लेनदेन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वाईसरिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड ADATA 32 एवं दो सीडीयों की लेपटॅ०ाप की सहायता से श्रीमती सुनिता एचसी नं. 43 से FTK Imager सॅ०ाफटवेयर से अलग-अलग हैश वेल्यु निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। लेपटॅ०ाप से डिजीटल वाईसरिकार्डर हटाकर उसमें से रिश्वत लेनदेन वार्ता का मेमोरी कार्ड ADATA 32 को निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "सी" अकिंत किया गया। तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वेल्यु निकाली गई एक सीडी पर मार्क "सी-1" एवं दूसरी सीडी पर मार्क "सी-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक-पृथक प्लॅ०ास्टीक के कवर में डालकर पृथक- पृथक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपड़े की थैली पर मार्क "सी-1" एवं "सी-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। तत्पश्चात समय 9.30 पीएम पर

आरोपी श्री परमवीर दुलार ईओ नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना के विरूद्ध की गई ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी ईओ परमवीर की हाथ धुलाई, बरामदगी रिश्वती राशि एंव पेन्ट धुलाई की विडीयो ग्राफी श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 386 से उसके मोबाईल से करवाई गयी थी। उक्त विडीयोग्राफी की रिकार्डिंग को श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 386 के मोबाईल को लेपटॅाप से जोड़कर डाउनलोड कर ADATA 32 के दो मेमोरी कार्डो में अलग-अलग बर्न/कॅापी कर उक्त मेमोरी कार्डो में से एक मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क "डी" अकिंत कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया एंव दूसरे मेमोरी कार्ड को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी श्री मोहनलाल जाट को रूखसत किया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री परमवीर दुलार ईओ मय जप्त शुदा वजह सबुत के नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना से रवाना होकर एसीबी चैकी सीकर पहूंचा। प्रकरण से संबंधित वजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। आरोपी परमवीर दुलार के विरूद् ट्रेप कार्यवाही के दौरान मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में बनाई गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता की फर्द रूपान्तरण एवं हिन्दी रूपान्तरण श्रीमती सुनिता एचसी नं. 43 के द्वारा तैयार करवाई गई शेष फर्दात एवं रनिंग नोट श्री राजेन्द्र प्रसाद एचसी नं. 87 के द्वारा कार्यालय के लेपटॅाप से टाईपिंग करवाई गई है। की गई कार्यवाही से श्री परमवीर दुलार पुत्र श्री रामकुमार सिंह, जाति जाट, उम्र-56 वर्ष, निवासी हनुमानपुरा, पुलिस थाना मण्डावा जिला झुंझुनूं हाल ईओ, नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री मोहनलाल जाट के द्वारा लक्ष्मीनगर के नाम से काटी गई कॅालोनी का ले-आउट प्लान अनुमोदित करवाने की एवज में परिवादी श्री मोहनलाल जाट से रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 08.07.2024 को दो लाख रूपयों की मांग कर 1,50,000 रूपये लेने पर सहमत होना तथा परिवादी द्वारा रूपयों की व्यवस्था नहीं होने के कारण मांग के अनुशरण में दिनांक 18.07.2024 को परिवादी श्री मोहनलाल जाट से 1,25,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना पृथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी श्री परमवीर दुलार ईओ, नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की तारीफ में आता है। दौराने रिश्वत लेनदेन के समय मौके पर नगरपालिका अजीतगढ के चैयरमैन श्रीमती सन्तोष देवी के पुत्र श्री सुनिल अग्रवाल द्वारा आरोपी श्री मोहनलाल दुलार की मौजूदगी में परिवादी श्री मोहनलाल जाट से उसके पार्टनर श्री गोपाल टाटला से जरिये मोबाईल फोन वार्ता कर उसके द्वारा कस्बा अजीतगढ में बनाये गये कॅाम्पलेक्श के लिये 5 लाख रूपये की कहते हुये परिवादी श्री मोहनलाल जाट को कॅाम्पलेक्श के रिश्वत के रूपये देने के बाद कॅालोनी के रूपये देने की बात कहना पृथम दृष्टया पाया गया है। उक्त श्री सुनिल अग्रवाल की भूमिका की स्थिति अन्वेषण के दौरान स्पष्ट की जावेगी। अतः उक्त आरोपी श्री परमवीर दुलार पुत्र श्री रामकुमार सिंह, जाति जाट, उम्र-56 वर्ष, निवासी हनुमानपुरा, पुलिस थाना मण्डावा जिला झुंझुनूं तत्कालीन ईओ, नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है। (रवीन्द्र सिंह) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर----- कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री परमवीर दुलार पुत्र श्री रामकुमार सिंह, उम्र-56 वर्ष, निवासी हनुमानपुरा, पुलिस थाना मण्डावा जिला झुंझुनूं तत्कालीन ईओ, नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश चन्द पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 975 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 764-67 दिनांक 19.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयुपुर द्वितीय । 2 शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग राजस्थान जयपुर। 3 पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.जयपुर 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): Suresh Chand Rank (पद): निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 19/07/2024 17:

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1968				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)